**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2217**

**25 अप्रैल, 2012 को उत्तर के लिए**

**जनजातीय रेजीमेंट गठित किया जाना**

**2217. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा :**

 क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार माओवादियों को रंगरूटों की आपूर्ति रोकने के उद्देश्य से सेना में "जनजातीय रेजीमेंट" गठित करने और सशस्त्र बलों में जनजातीय युवकों की भर्ती आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौजूदा समय में सशस्त्र बलों में नगण्य मौजूदगी रखने वाले जनजातीय लोगों को भारी संख्या में इस ओर आकर्षित करने के लिए आरम्भ में पात्रता संबंधी मानदण्डों में ढिलाई बतरी जाएगी; और

(ग) क्या "जनजातीय रेजीमेंट" गठित करने में रक्षा बलों के पास "जे एंड के मिलिशिया" , सिक्ख लाइट इंफैंट्री, महारट्टा, महर, डोगरा आदि जैसे रेजीमेंट होने के अनुभावों से फायदा लिया जाएगा ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के.अन्टनी)**

(क)\_ से(ग): सेना में जनजातीय रेजीमेंट खड़ी किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सरकार की नीति किसी विशेष वर्ग, पंथ, समुदाय, धर्म अथवा क्षेत्र के आधार पर नई रेजीमेंट खड़ी करने की नहीं है अपितु ऐसी सेना रखने की है जिसमें सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो । तथापि, भर्ती के लिए जनजातीय युवाओं को शारीरिक/शैक्षिक मानकों में कतिपय छूट पहले से ही उपलब्ध है ।

**\*\*\*\*\***